प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी चार सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है। प्रतिवेदन समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मानित सरकारी कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणियां देते हैं या सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अलावा, ये कम्पनियां सीएजी द्वारा किये जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

प्रतिवेदन में 2014–15 से 2018–19 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केंद्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।